



बुक नं. 3

क्रमांक- 54

कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

(उ0प्र0 नगर एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत)

भवन निर्माण स्वीकृति पत्र

संख्या... 1256 .../दि०एस०/पत्रावली सं०... 219/15 (2013-14) ... दिनांक... 14/11/14
 श्री/श्रीमती/कुमारी... नरेन्द्र कुमार सांगवान... पुत्र/पुत्री/पुत्री श्री... जालीचरन
 निवासी मौहल्ला... 301, हरिद्वार भागा, अलीगढ़ को निम्न
 शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है: (असदुष्य प्रमाण निर्माण परिसर)
 कामाचरम्भ सेम्प-15 नवम्बर 2014
 :- शर्त :-

- निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्र के अनुसार किया जायेगा। कटे हुए भाग पर निर्माण अमान्य है।
- निर्माणित का कोई भी भाग सरकार अथवा नगर पालिका की भूमि का अतिक्रमण कर नहीं किया जायेगा और न वह उस पर प्रोजेक्ट करेगा।
- निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् कार्य की प्रगति के संबंध में अनुज्ञा प्राप्तकर्ता प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नांकित सूचना देगा :
 (क) निर्माण प्रारम्भ करने के तिथि।
 (ख) भवन निर्माणकर्ता का यह दायित्व होगा कि निर्माण प्रारम्भ करने के प्रत्येक 15 दिन के बाद प्राधिकरण स्टाफ से स्थान निर्माण की जाँच करवाये।
 (ग) स्वीकृति नक्शे के अनुसार निर्माण पूर्ण हो जाने पर गृह प्रवेश के पूर्व प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- मानचित्र में जो भाग गिराये जाने हेतु दर्शाया गया है, पहले उसे गिराएगा, उसके बाद नया निर्माण प्रारम्भ करेगा।
- दी गई अनुज्ञा 5 वर्ष के लिए मान्य होगी तथा इस अवधि में यदि निर्माण पूर्ण नहीं होता है तो 1-1 वर्ष के लिए 3 समय वृद्धियाँ प्रदत्त की जायेगी, परन्तु यह वृद्धि उक्त समय के लिए लागू नियमों के अधीन होगी। स्वीकृति अवधि के पश्चात किया गया निर्माण, अवैध समझा जायेगा।
- जो भाग गिराया जाना है, उसकी मरम्मत नहीं की जायेगी।
- कोई भी नई बनाई/पुनः बनाई गई या रद्दोबदल की गई इमारत के पूर्ण भाग/किसी भी भाग में उक्त समय तक रहने की अनुमति नहीं होगी, जब तक ऐसा करने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र न दिया जाये, जिसमें यह लिखा हो कि इमारत सब प्रकार की उपविधियों की पूर्ति करती है और यह रहने योग्य है।
- निर्माण का उपयोग केवल उसी रूप में किया जायेगा कि जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
- भू-स्वामित्व तय करने का उत्तरदायित्व विकास प्राधिकरण का नहीं होगा। विवाद होने पर संबंधित पक्ष दीवानी न्यायालय में स्वामित्व तय करायेंगे।
- यह स्वीकृति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचनार्थ अभिलेखों के आधार पर दी जा रही है। प्रस्तुत सूचना आदि के गलत होने पर मानचित्र निरस्त माना जायेगा।
- उपरोक्त निर्माण इण्डियन इलेक्ट्रिक सिटी रूल 1958 के नियम 79 व 80 के अनुसार किया जायेगा, और इस संबंध में पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।
- प्रत्येक 100 वर्ग मी० भूखण्ड के क्षेत्रफल पर 2 वृक्ष लगाने होंगे।
- रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
- नगर भूमि सीमारोपण से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का दायित्व प्राधिकरण का नहीं होगा।
 बहुमंजिली इमारतों अथवा ऐसी इमारतों जिनमें फायर बिग्रेड के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है, में फायर बिग्रेड की लगाई गई शर्तों का अनुपालन भवन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसे भवनों में शमन किए जाने की स्थिति में आपको पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की स्थिति में फायर बिग्रेड से अनापत्ति आवश्यक होगी।
- निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त निर्माणकर्ता द्वारा प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।
- यदि निर्माण अन्य राजकीय कार्यालयों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के उपरान्त स्वीकृत किया गया है तो ऐसी स्थिति में ऐसे समय राजकीय कार्यालयों द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन, स्थल पर निर्माण किया जायेगा।
- शासन द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- प्रार्थी के द्वारा कुल देयताएं रु. 20,90,218/- (रु. शब्दों में) ... (रु. शब्दों में) ...
 प्राधिकरण कोष में जमा कर दी गयी है।
- फ्लाइंग आधारित उत्पादों का उपयोग आवश्यक है।
- अवर अभियन्ता श्री ... सहायक अभियन्ता/स.न.नियोजक श्री ...
 अधिशासी अभियन्ता श्री ... को इस आशय से प्रेषित कि निर्माण अनियमित न होने पाये।
- भवन निर्माण भू-कम्परोधी होगा एवं नेशनल बिल्डिंग कोड में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप करना होगा।
- निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र को प्रति रखना अनिवार्य है।
- स्थल पर स्वीकृत मानचित्र संख्या भवन के मंजिलों की संख्या

साक्षि/उपाध्यक्ष